न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री मोहनलाल खटनावलिया आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : 179/2017

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. सेणीदान पुत्र खेमदान 2. उदयकरण पुत्र खेमदान जाति चारण निवासी बलून्दा तहसील जैतारण जिला पाली (राज.)		1. महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी जैतारण जिला पाली (राज.)

राजस्व वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं धारा 128 भू-राजस्व अधिनियम 1956

तारीख रजू:.11/09/2017

- उपस्थितः. 1. श्री ओमप्रकाश पंचारिया, अधिवक्ता, वादी।

-:: निर्णय ::- दिनॉकः- 24/05/2018

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, एवं धारा 128 भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत् विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि राजस्व मौजा बलून्दा तहसील जैतारण जिला पाली राज. में वादीगण एवं अन्य सहखातेदार नरपतसिंह, कल्याणसिंह, हरिसिंह, देवीसिंह, उछबकंवर, सज्जनकंवर पिसरान सादुदान लुणदान, करणीदान, पिसरान खेमदान की सामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 805 रकबा 7-05 बीघा किस्म बारानी अव्वल आई हुई है। नकल जमाबंदी संवत् 2073 से 2076 की पेश है। उक्त कृषि भूमि वादीगण एवं अन्य सहकाश्तकारान माफिक हिस्सेनुसार काबिज होकर काश्त करते है। वादीगण की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 805 रकबा 7-05 बीघा कस्बा बलून्दा के पास ही बलून्दा से खराड़ी जाने वाली पक्की सड़क के दक्षिण दिशा में स्थित है। उक्त कृषि भूमि के पडौस निम्न है- उत्तर में - बलून्दा से खराडी जाने वाली पक्की सडकदक्षिण में- बलून्दा से काणेचा जाने वाली पक्की सडक पूर्व में - खसरा नम्बर 804 की कृषि भूमि व बाला पश्चिम में - धुम्बा धूणा की पक्की दीवार उक्त पडौसियों के बीच की कृषि भूमि वादीगण एवं अन्य सहखातेदारान् की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि है। वादीगण के हक हिस्से की खातेदारी एवं कब्जे काश्त कृषि भूमि में जिसे नजरी नक्शे में बिन्दु ए, बी, सी, डी लाल रंग से दर्शाया गया है उक्त कृषि भूमि में सम्पूर्ण भाग/उसके किसी भू-भाग में प्रतिवादी को कोई हक अधिकार नही है। फिर भी प्रतिवादी ने नजरी नक्शे में बताये ए, बी, सी, डी लाल रंग के भाग में नीवे खोदकर निर्माण करने लगे, तब वादीगणन को जानकारी होने पर दिनांक 10/5/2017 को मौके पर आकर मना किया, तो उन्होनें कहा कि आबादी भूमि है हमे ऊपर से आदेश है आंगनबाड़ी केन्द्र बना रहे है तब वादीगण ने कहा कि उक्त कृषि भूमि हमारी खातेदारी की है व वादीगण ने अपनी कृषि भूमि

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

होने बाबत् रिटायर्ड रेवेन्यु जानकार से तथ्यात्मक रिपोर्ट बनवाई गयी तो उसमें भी उक्त भूमि खसरा नम्बर 805 की कृषि भूमि होना बताया गया। इस प्रकार प्रतिवादी आबादी भूमि नही होने के बावजूद भी बिना वादीगण की सहमति व बिना किसी स्वामित्व हक अधिकार के प्रतिवादी मात्र अतिचार कर वादीगण की भूमि पर आंगनबाड़ी बनाने का कोई हक अधिकार नही है तब मौके पर कार्य बंद कर दिया गया। वादीगण बाहर गांव जाने पर पुनः वादीगण की अनुपस्थिति में प्रतिवादी ने अधिक कारीगर व मजूदर लगाकर नक्शे में बताये लाग रंग के भू-भाग पर निर्माण कार्य चालु कर दिया। जिसकी जानकारी होने पर तुरन्त वादीगण मौके पर आये व कार्य बंद करवाया व प्रतिवादी ने कहा कि अब नया निर्माण नही करेगे। प्रतिवादी ने वादीगण की कृषि भूमि पर बिना किसी सक्षम अधिकारी की अनुमति के अकृषि कार्य कर वादीगण को नुकसान पहुचाया। यदि प्रतिवादी वादीगण की कृषि भूमि में अतिचार कर आंगनबाड़ी भवन का निर्माण कर देते है तो वादीगण अपनी खातेदारी भूमि के अधिकारों से वंचित होगें, उन्हें असीम हानि होगी, जिसकी किसी सुरत में क्षतिपूर्ति संभव नही होगी। इसलिए प्रतिवादी द्वारा किये जा रहे गैरकानूनी काम को रोके जाने हेतु वादीगण जो कि उक्त कृषि भूमि के खातेदार स्वामी है जिन्हे प्रतिवादी के विरूद्ध शाश्वत व्यादेश का यह वादपत्र प्रस्तुत करना पड़ रहा है व प्रतिवादी द्वारा किये जा रहे कार्य को रोकने के लिये न्यायतन व्यादेश दिया जाना अति आवश्यक है। बिनाय वाद दिनांक 10/05/2017 को नीवे खोदकर निर्माण कार्य करने लगे वादीगण द्वारा मना करने पर निर्माण कार्य बंद कर दिया व वादीगण के अन्यत्र गांव जाने पर पुनः वादीगण की अनुपस्थिति में निर्माण कार्य करने लगे मना करने पर नही मानने पर बमुकाम बलून्दा तहसील जैतारण जिला पाली (राज.) में उत्पन्न हुआ जो श्रीमान् के क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार में है।

प्रतिवादी द्वारा पैरवी करने का समय चाहा गया। पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प ''न्याय आपके द्वार-2018'' कैम्प बलून्दा में पेश हुई। प्रतिवादी की ओर से उपस्थित प्रतिनिधी ने जबाब दावा पेश किया। सरहद मौजा बलून्दा में खसरा नम्बर 805 रकबा 7-05 वादीगण की खातेदारी भूमि है। एवं इनके लगते हुए खसरा नम्बर 804 रकबा 4-18 बीघा एवं खसरा नम्बर 802 रकबा 1-03 बीघा गै.मु. आबादी भूमि है। इस प्रकार खसरा नम्बर 802 गै.मु. आबादी में विधिवत् प्रक्रिया में आंगनबाड़ी का पट्टा बना हुआ है। इसके बाद ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत् प्रस्ताव लेकर स्वीकृति करवाकर आंगनबाड़ी भवन का निर्माण करवाया है। वादीगण का इस आंगनबाड़ी भवन की भूमि में कोई लेना देना नहीं है। केवल राजनैतिक द्वेषतावश झुठा वाद हमारे विभाग के विरूद्ध पेश किया है। इस वादपत्र में पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 23/10/2017 से भी स्पष्ट साबित है कि उक्त भूमि वादीगण की नहीं है। तथा आंगनबाड़ी भवन खसरा नम्बर 802 में निर्मित है। वादीगण का वादपत्र खारिज फरमावें।

मजमा-ए-आम में भी उक्त संबंध में जानकारी ली गई। मौतबिरान एवं मौजिज व्यक्तियों ने बताया कि उक्त आंगनबाड़ी भवन खसरा नम्बर 802 आबादी में बना हुआ है।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

पत्रावली मय दस्तावेजात तथा जमाबंदी एवं अस्थाई निषेधाज्ञा में प्रस्तुत पटवारी हल्का की वर्तमान मौका स्थिति की फर्द का तथा जबाब दावा का गहनता से अध्ययन किया गया।।

वस्तुतः दस्तावेजात एवं पटवारी हल्का की फर्द मौका रिपोर्ट के अनुसार उक्त भवन खसरा नम्बर 804 में बना हुआ जिसमें वादीगण को किसी प्रकार से प्रतिवादी से दखलंदाजी होना प्रतीत नही होता है। लिहाजा वादी का वाद तथ्यहीन होने से खारिज किया जाना उचित समझते है।

–:: आदेश ::–

अतः वादी का वाद सारहीन व तथ्यहीन होने से खारिज किया जाता हैं डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सा0मि0 हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला–पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 24/05/2018 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र–बलुन्दा पर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला–पाली (राज0)

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- उपखण्ड अधिकारी, मुकामः- जैतारण

बईजलास :- श्री मोहनलाल खटनावलिया आर.ए.एस.

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. सेणीदान पुत्र खेमदान 2. उदयकरण पुत्र खेमदान जाति चारण निवासी बलून्दा तहसील जैतारण जिला पाली (राज.)		1. महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी जैतारण जिला पाली (राज.)

राजस्व वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं धारा 128 भू-राजस्व अधिनियम 1956

मु0न0 :रा0वा0 स0:179/2017

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू .....-..... व हाजरी श्रीओमप्रकाश पंचारिया, राजीव लोचन, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्धई व मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद सारहीन व तथ्यहीन होने से खारिज किया जाता हैं डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सा0मि0 हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज .....-.....मुबलिक.....-.....बाबत.....-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....-.....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-.....को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 24/05/2018 को जारी किया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-पाली)

मोहर

मुद्धई	रूपये	पैसे	मुद्धायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	01	00	स्टाम्प वकालतनामा	—	
स्टाम्प वकालतनामा	01	00	स्टाम्प अर्जी	01	00
स्टाम्प वजह सबूत	01	00	महनताना वकील		
महनताना वकील	—		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	02	00	फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर	—		बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा	—		मुत्फरिक		
मिजानः-	05	00	मिजानः-	01	00

नोटः- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।